न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2021 (उदयपुर डिक्री)

महेन्द्र कुमार मोडासिया पिता श्री मधुसूदन मोडासिया, जाति महाजन, निवासी गांव कोल्यारी, तहसील झाड़ोल फलासिया, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भवानी शंकर पुजारी पिता श्री वरदी शंकर पुजारी, जाति ब्राहमण, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक।

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर, झाड़ोल प्रकरण संख्या 12/2018 दिनांक 03.03.2021

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री श्यामलाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक 14

———:::———

निर्णय **दिनांक 19–12–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 प्रतिवादी संख्या 1 मधुसूदन के पुत्र पुत्रियां होकर मूल पुरूष मगनलाल के वारिस हैं। ग्राम कोल्यारी में वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित भूमियां स्थित हैं, जिसके गत नंबर व रकबा परिशिष्ट ''ब'' में दर्ज हैं। उक्त आराजियात मौरूसी होकर वादी के दादा स्वर्गीय मगनलाल के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर तनहा खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है, किन्तु मगनलाल की मृत्यु पर विरासत से भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी एवं उनके द्वारा बिना किसी वाजिब जरूरत के भूमियों का विक्रय किया जाने लगा, जिस पर वादी द्वारा मना करने पर दिनांक 22–11–2014 को उनके द्वारा एक लिखतम स्वयं के हस्ताक्षर से करवाकर अपने दोनों पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 को भूमियां अलग–अलग दे दी, जिसमें वादी के हिस्से में खेतनामी लाला घाटी की आराजी नंबर 2017, 2016 व 2014 रकबा क्रमशः 0.13, 0.61 व 0.19 हैक्टर आयी, इसके बाविजूद भी दिनांक 18–12–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 6 को आराजी नंबर 2017, 2016 व 2014 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:27 IST
Reason: SelfAttested

कुलिया रकबा विक्रय कर दिया, जो विधि विरूद्ध होकर वादी के मुकाबले बेअसर व शून्य है। वादी का वाद वर्णित सम्पूर्ण आराजियात पर अपने बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगत करीब 27 वर्षो से भी अधिक समय से गांव कोल्यारी में निवास नहीं करते हैं तथा उनका एक ईंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है, केवल भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा नाजायज व गैर कानूनी रहन व बेह बक्षीस किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित आराजियात का हस्तान्तरण नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें तथा यदि वादी को बेदखल करने में सफल हो जाये तो कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे।

उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजियात के प्रतिवादी संख्या 1 तनहा खातेदार होने से उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में किया जाकर कब्जा सौंपा गया है, जिसकी जानकारी वादी को भली–भांति थी, किन्तु वादी अपने वाद में मिथ्या कथन करते हुए कथित आराजियात को पुश्तैनी बताकर न्यायालय को गुमराह कर रहा है। स्वर्गीय मगनलाल जी ने अपने जीवनकाल में वाद वर्णित समस्त आराजियात सहित चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर उसका पंजीयन करवाया है। वसीयत अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजियात का एक मात्र स्वामी होकर भूमि उसके खातेदारी में दर्ज हुई तथा उसे मनमाफिक ढंग से भूमि का उपयोग–उपभोग करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। जब तक वादी रजिस्टर्ड वसीयत को सक्षम न्यायालय से अकृत व शून्य घोषित नहीं करा लेता, तब तक वादी का वाद पोषणीय नहीं है। वादी ने उक्त आराजियात के सम्बन्ध में एक वाद माननीय अपर जिला व सेशन न्यायालय, क्रम संख्या 3, उदयपुर में भी कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या 58/18 होकर विचाराधीन है। इस वाद में वादी ने स्वयं को 1/2 हिस्से का स्वामी बताया है, जबकि आप न्यायालय में प्रस्तुत वाद में 1/6 हिस्से का स्वामी बता रहा है। इस प्रकार वादी स्वयं यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसका वादग्रस्त आराजियात में कितना हक, हिस्सा है। वादी ने धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जबकि वह खातेदार नहीं है। धारा 188 के तहत वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। अतः प्रतिवादी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 6 ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वादग्रस्त आराजियात मगनलाल की व्यक्तिगत होना प्रतीत होता हो। वादग्रस्त सम्पत्ति मगनलाल की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होकर मौरूसी सम्पत्ति है, जिसका उन्हें वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी होने से वादी का जन्म से अधिकार है। अतः प्रतिवादी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03–03–2021 से प्रतिवादी संख्या 6 का आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट के पिता मधुसूदन द्वारा दिनांक 22–11–2014 को विवादित आराजियात बाबत् एक बंटवारानामा लिखकर 1/2 हिस्सा अपीलान्ट को देकर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। उक्त बंटवारानामा अनुसार खेतनामी बाग साढ़े बारह बीघा में अपीान्ट को 6 बीघा हिस्सा दिया गया तथा लाल घाटी में 3 बीघा हिस्सा दिया, जिसके आराजी नंबर 2017, 2016 व 2014 रकबा क्रमशः 0.13, 0.61 व 0.19 हैक्टर होकर कब्जा अपीलान्ट को सौंपा गया है, जिस पर अपीलान्ट काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में वसीयत का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत के बारे में बाते करने में भूल की है। वादग्रस्त भूमि मौरूसी होकर जयचन्द पिता पीताम्बर महाजन के समय से चली आ रही है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसे अनदेखा कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03–03–2021 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:27 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है, जबकि वह रेकार्डेड खातेदार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत रेकार्डेड खातेदार द्वारा ही दावा लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 188 के तहत अपीलान्ट का वाद बार्ड बाई लॉ मानते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03-03-2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास .... अनीता मीना, आर.ए.एस. ....

महेन्द्र कुमार पिता मधुसूदन मोडासिया जाति महाजन, निवासी गांव कोल्यारी, तहसील झाड़ोल फलासिया, जिला उदयपुर (राज.) बनाम भवानीशंकर पुजारी पिता वरदीशंकर पुजारी, जाति ब्राहमण, नि0 राजपूतों का मोहल्ला, नाई तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.......24/2021.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....सहायक कलेक्टर..... ....झाड़ोल......... मुकाम................मुवर्खे.............03............माह..............03............2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........19...माह........12.......सन् 2022 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी...........श्री श्यामलाल..............मिनजानिब अपीलान्ट व.............. श्री हर्षद जोशी

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03–03–2021 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........19......माह.......12...........2022 को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:27 IST
Reason: SelfAttested